

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 366
उत्तर दिए जाने की तिथि: 13 अगस्त, 2026

वन धन विकास केंद्र संकुलों की स्थिति

*366. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्वीकृत वन धन विकास केंद्र संकुलों की तुलना में वाणिज्यिक रूप से संचालित ऐसे संकुलों की राष्ट्रव्यापी स्थिति क्या है और परिक्रामी कार्यशील पूंजी के लिए आवंटित और उपयोग की गई केन्द्रीय धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से परिक्रामी कार्यशील पूंजी के संवितरण में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे विलंब का समाधान करने में उक्त संकुलों के अधिक निष्क्रिय होने के क्या कारण हैं तथा और सक्रिय इकाइयों को वन धन उत्पादक उद्यमों (वीडीपीई) में बदलने से संबंधित स्थिति क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ में संचालित वन धन विकास केन्द्रों, जारी नहीं की गई परिक्रामी धनराशि और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के अंतर्गत प्रमुख लघु वन उत्पादों (एमएफपी) की खरीद का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए प्राथमिक स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के बैंक खातों में परिक्रामी कार्यशील पूंजी का सीधा अंतरण और हाट बाजारों में अनिवार्य खरीद 'निलंब' निधि का सृजन करने जैसे सुधारात्मक नीतिगत उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री जुएल ओराम)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

13.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 366 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) तथा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के माध्यम से वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आज की तारीख तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 4,712 वीडवीके स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे 12.94 लाख लाभार्थी जुड़े हैं। दोनों योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹642.19 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिनमें से 3,406 वीडवीके परिचालित हैं। एक वीडवीके की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को अधिकतम ₹15.00 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग कच्चे माल, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, टूल किट एवं मशीनरी, मार्गदर्शन शुल्क, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग, परिवहन, भंडारण आदि पर व्यय के लिए किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत वीडवीके को परिक्रामी कार्यशील पूंजी प्रदान नहीं की जाती है।

हालांकि, योजना के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घटक के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) को परिक्रामी निधि प्रदान की जाती है, ताकि जब बाजार मूल्य MSP से नीचे गिर जाए, तब जनजातीय लघु वनोपज (एमएफपी) संग्राहकों से एमएसपी पर लघु वनोपज की खरीद की जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मेघालय की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) को लघु वनोपज की खरीद के लिए ₹2.50 करोड़ जारी किए गए हैं।

(ख) वीडवीके की स्थापना के लिए निधि जारी करने की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली के माध्यम से की जाती है। लगभग सभी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा टीएसए खाते खोले जा चुके हैं और निधियां SIAs के टीएसए खातों में हस्तांतरित की जा रही हैं। टीएसए प्रणाली के माध्यम से कोषागार तथा केंद्रीय बैंक को तरलता पर पूर्ण निगरानी प्राप्त होती है, वाणिज्यिक बैंकों में निष्क्रिय रूप से पड़ी नकदी समाप्त होती है तथा सरकारी व्यय के लिए निधियों का "जस्ट-इन-टाइम" आधार पर निर्गमन सुनिश्चित होता है। जैसा कि भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, पीएमजेवीएम / पीएम-जनमन योजनाओं के अंतर्गत वीडवीके को परिक्रामी कार्यशील पूंजी प्रदान नहीं की जाती है।

परिचालित वीडवीके को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्य संवर्धन, एकत्रीकरण तथा बाजार संपर्क के लिए वन धन उत्पादक उद्यमों (वीडीपीई) के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मध्य प्रदेश से एक वीडपीई प्रस्ताव को कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है।

(ग) पीएम-जनमन तथा पीएमजेवीएम योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 148 वीडवीके परिचालित हैं। वर्ष 2013-14 से अब तक छत्तीसगढ़ की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद के लिए ₹153.66 करोड़ की परिक्रामी निधि जारी की गई है। इसके माध्यम से राज्य द्वारा वर्ष 2025-26 तक ₹467 करोड़ मूल्य की लघु वनोपज की खरीद की गई है। छत्तीसगढ़ एसआईए ने एमएसपी परिचालनों के अंतर्गत हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान में जांचाधीन है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य से लघु वनोपज की खरीद के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) इस विषय पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के साथ चर्चा की गई है और उन्हें वीडवीके तथा जमीनी स्तर पर कार्यरत प्राथमिक खरीद एजेंसियों के बैंक खातों में निधियां सीधे हस्तांतरित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने की सलाह दी गई है। कुछ राज्यों में निधियां पहले से ही वीडवीके के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा रही हैं।